न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 105/2021 बउनवानी काशी सिंह बनाम लो.सू.अधि.एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी पुत्र श्री सुरजन सिंह राजपूत निवासी मच्छीपुरा तहसील गंगापुर सिटी

GCMS No-2021/299

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
15.12.2021	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 9.8.2021 को लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी कोर्ट अनुभाग को प्रेषित प्रार्थना पत्र जिसको तहसीलदार गंगापुर सिटी के कार्यालय में अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गया:—

1. जिला कलेक्टर न्यायालय की अपील संख्या सू.का.अ. 27/21 व 30/21 उनवानी काशी सिंह बनाम सरकार की निर्णय प्रति दिलवाये जाने बाबत।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी।

नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी पैरोकार राजस्व ने लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांकः सूकाअ/2021/139 दिनांक 10.12.2021 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 9.8.2021 के बिन्दु संख्या 1 की सूचना प्रभारी अधिकारी कोर्ट अनुभाग के पत्रांक 1766 दिनांक 26.8.2021 से तहसीलदार गंगापुर सिटी को भिजवायी जाने पर अपीलान्ट को तहसीलदार गंगापुर सिटी द्वारा जरिये पत्रांक 139 दिनांक 10.12.2021 से उपलब्ध करवायी जा चुकी है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 9.8.2021 को प्रेषित प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1 की (निर्णय प्रति) सूचना जो कि प्रभारी अधिकारी कोर्ट अनुभाग के पत्रांक कोर्ट/सू.का.अ./प्र.अपील/2021/1766 दिनांक 26.8.2021 से अपीलान्ट को जरिये तहसीलदार गंगापुर सिटी भिजवायी जाने पर तहसीलदार गंगापुर सिटी के पत्रांक 139 दिनांक 10.12.2021 द्वारा उपलब्ध भिजवायी जा चुकी है। इस प्रकार तहसीलदार गंगापुर सिटी द्वारा उक्त निर्णय दिनांक 14.7.2021 की प्रति पूर्व में अपीलान्ट को अपूर्ण उपलब्ध करवायी गयी है इसके पश्चात प्र.अ.कोर्ट के पत्रांक 1766 दिनांक 26.8.2021 के साथ भिजवायी गयी निर्णय प्रति भी लगभग 4 माह बाद अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी गयी है जो कि खेदजनक है। अतः भविष्य मे इस न्यायालय द्वारा भिजवायी जाने वाली निर्णयों [illegible] प्रतियां अपीलान्ट को समय पर उपलब्ध करवायी जावे। उक्त निर्देश के साथ अपील [illegible] का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से [illegible] अभिलेख की जावे। आदेश खुले न्यायालय मे सुनवाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2022.01.17 18:00:56 IST
Reason: SelfAttested

(राजेन्द्र किशन)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर